



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 10, सोमवार, शाके 1946-जुलाई 01, 2024  
Asadha 10, Monday, Saka 1946- July 01, 2024

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2024

संख्या प.11(3)नविवि/इटावा/2015 :-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.02.2016 द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इटावा शहर के नगरीय क्षेत्र, जिसमें 9 राजस्व ग्राम सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा जोन, कोटा को नियुक्त किया गया था। उक्त ग्रामों के अतिरिक्त निम्नांकित राजस्व ग्राम भी इटावा शहर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए सिविक सर्वे करने एवं वर्ष-2041 के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा जोन, कोटा को नियुक्त करती है-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
10	इटावा	Itawa
11	खोड़ावदा	Khorawada
12	किशनपुरा अल्लापुर	KishanpuraAllapur
13	डोली	Doli
14	झाड़ोल	Jharol
15	डडवाडा	Dadwara
16	फतेहपुर	Fatehpur
17	गोन्दी	Gondi
18	मानपुरा	Manpura

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।